न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्या: 67 / 21 निर्णय दिनांक:— 25-५-22
(जीसीएमएस संख्या 2021 / 00226)

1. महेन्द्र पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी चक 6 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. रेनू गोदारा पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी चक 6 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. रामकंवर पत्नी श्री ईशरराम
2. रामचन्द्र पुत्र श्री ईशरराम
3. भानुप्रताप पुत्र श्री ईशरराम
4. छैलाराम पुत्र श्री ईशरराम
5. रूपाराम पुत्र श्री ईशरराम
   जाति जाट निवासी चक 6 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
6. उपपंजीयक खाजुवाला
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 21—10—2021
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थित:—

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनीराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाष

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 21–10–2021 जिसके द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके चक 6 एसजेएम 'बी' तहसील खाजुवाला के मुरब्बा नम्बर 39/39 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम, किला नम्बर 21/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 22/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 23/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 24/1 में 0.2276 हेक्टर व किला नम्बर 25/1 में 0.2276 हेक्टर कुल तादादी 6.1960 हेक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपीलांट् के पिता व पति की पारिवारित सदस्यों की संयुक्त व पुश्तैनी कृषि भूमि की आय से खरीदशुदा भूमि है। जिस पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। उक्त भूमि अपीलांट्स की दादी रामकंवर के नाम से दर्ज भूमि है। जोकि एक पैतृक सम्पति है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गिफट् कर दी गई। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कतई अधिकार हासिल नहीं था। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं सरंक्षणा के मद्देनजर वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन हेतु वादपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र के साथ अपीलांट्स द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–10–2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट्स अपनी दादी अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सम्पति में अधिकार के तौर पर हिस्से का दावा नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि बताई गई है। जबकि उक्त भूमि बतौर संयुक्त परिवार की आय से अर्थात अपीलांट्स के पिता व पति व अन्य पारिवारिक सदस्यों की पुश्तैनी कृषि भूमि की आमदानी से खरीदशुदा सम्पति थी जिस पर अदालत मातहत द्वारा कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए धारा टीपी एक्ट की धारा 9 व 54 का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि मौखिक बंटवारे की बुनियाद पर कोई व्यक्ति अचल सम्पति पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 9 व 54 टीपी एक्ट से संबंधित नहीं होकर इस तथ्य पर आधारित है चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि एक घरेलू गृहणी है जिसके नाम से परिवार के सदस्यों की आय से खरीदशुदा भूमि पर परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार उत्पन्न होते है अथवा नहीं? व वादग्रस्त परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ते हुए किसी एक या दो सदस्यों को उक्त भूमि के हस्तारन्तरण के अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया ना ही आदेश जैर अपील में इस संबंध में कोई टिप्पणी ही अंकित की गई है। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने अन्य जायज वारिसान को छोड़ते हुए दो पुत्र अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गिफट् डीड करते हुए अन्य वारिसानों के विधिक अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर भी अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो त्रूटिपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि पर बाई बर्थ राईट्स होने के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया था तथा उसी के आधार पर धोषणा एवं बंटवारें की मांग करते हुए वादग्रस्त भूमि के अन्य दिगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान करने की स्थिति को ध्यान में रखते अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व कानून के मूलभूत सिद्वान्तों की पालना करते हुए आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश कानून की नजर में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में सीसीसी 2013 पार्ट III पेज 730, सीसीसी 2013 पार्ट II पेज 450, आरएलआर 1988 पार्ट II पेज 850 व आरआरटी 2020 पार्ट II पेज 1080 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 6 एसजेएम 'बी' तहसील खाजुवाला के मुरब्बा नम्बर 39/39 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम, किला नम्बर 21/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 22/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 23/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 24/1 में 0.2276 हेक्टर व किला नम्बर 25/1 में 0.2276 हेक्टर कुल तादादी 6.1960 हेक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित खरीदशुदा भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि होने से उक्त भूमि के हस्तान्तरण के सम्पर्ण अधिकार हासिल होने पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गिफ्ट डीड करते हुए अपने अधिकारों का त्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है, जिसका उन्हें पूर्णतया अधिकार प्राप्त था। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट्स का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि कभी भी पैतृक सम्पति नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नहीं पाये जाने व उक्त हस्तान्तरण से अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं के कारण अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत तरीके खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह पाये जाने पर की वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र केवल मात्र वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रोकने की नियत मात्र से प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यह पाये जाने पर कि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है, तथा वादगंत् भूमि पर अपीलांट्स के किसी प्रकार के हक व हकूक पैदा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2021 पार्ट I पेज 314, डीएनजे 2021 पार्ट II पेज 870, डीएनजे 2021 पार्ट I पेज 112, डीएनजे 2017 पार्ट I पेज 132 व डीएनजे 2022 पार्ट I पेज 302 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके चक चक 6 एसजेएम 'बी' तहसील खाजुवाला के मुरब्बा नम्बर 39/39 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम, किला नम्बर 21/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 22/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 23/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 24/1 में 0.2276 हेक्टर व किला नम्बर 25/1 में 0.2276 हेक्टर कुल तादादी 6.1960 हेक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड के बाबत् अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि संयुक्त परिवार की आय अर्थात अपीलांट्स के पति/पिता व अन्य सदस्यों की आय से खरीदशुदा सम्पति है। जिस पर परिवार के सभी सदस्यों का व अपीलांट्स का बाई बर्थ अधिकार निहित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि पर परिवार के सदस्यों के हक व हकूकों के निर्धारण का प्रश्न उठाने से पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस तथ्य की जॉच की जानी आवश्यक है कि क्या वादग्रस्त भूमि जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि एक घरेलू गृहणी श्रेणी की महिला है, के नाम से परिवार की संयुक्त आय से खरीदशुदा भूमि होने से आराजी जैर एक पैतृक श्रेणी की भूमि है? अथवा स्वअर्जित श्रेणी की भूमि है? व अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के तहत पारित आदेश जैर अपील विधि के प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया आदेश है अथवा नहीं?

(4) इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि सर्वप्रथम मांगूराम पुत्र जालूराम के नाम से बतौर आवंटित भूमि थी। उक्त भूमि का मुख्त्यारआम मागूराम के जायज वारिसान द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 छैलाराम पुत्र ईशरराम के नाम से किया गया। तत्पश्चात् छैलाराम पुत्र ईशरराम द्वारा जरिये मुख्त्यारआम वादग्रस्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्थात रामकंवर पत्नी ईशरराम को बेचान की गई। कालान्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकंवर पत्नी ईशरराम द्वारा उक्त भूमि को जरिये गिफ्ट डीड रेस्पोडेन्ट संख्या रेस्पोडेन्ट संख्य 2 व 3 के नाम हस्तान्तरित कर दी गई।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर परिवार के एक सदस्य अथवा अन्य सदस्यों के अधिकारों के निर्धारण से पूर्व यह बिन्दु विचारणीय है कि क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 4 छैलाराम पुत्र ईशरराम जिसको वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटि के वारिसान द्वारा मुख्त्यारआम बनाया गया था, के द्वारा उक्त भूमि अपने स्वयं के नाम अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम किये जाने के स्थान पर पारिवारिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिवार की मुखिया होने के नाते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम वादग्रस्त भूमि का बेचान किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि घरेलू गृहणी है, के द्वारा अपनी स्वयं की अर्जित आय से उक्त सम्पति को खरीदा जाना माना जा सकता है। इस तथ्य को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर है। जिसका निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में तय होना है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सिविल कोर्ट केसेज 2013 पार्ट III पेज 730 का अवलोकन किया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:— **Hindu Law – Joint Family Property – There can be no presumption that property is joint family property only on account of the existence of a joint Hindu family – Party who asserts that the property has to prove that there was an adequate nucleus with which the joint family property could be acquired–Once that is proved, there would be presumption of property being joint and the onus then whould shift on the person, who claims it to be self acquired property, to prove that he purchased the property with his own funds and not out of the joint family nucleus that was awailable.**

इसी क्रम में उपरोक्त नजीर के बिन्दु संख्या 10 में खरीदशुदा आराजी के स्वअर्जित अर्थात स्वयं की आय से खरीद किये जाने के तथ्य को साबित करने के संबंध में अभिलिखित किया गया है कि:—

"The general doctrine of Hindi law is that property acquired by a Karta or a coparcener with the aid or assistance of joint family assets in impressed with the character of joint family property. To put it differently, it is an essential feature of self-acquired property that it should have been acquired without assistance or aid of the joint family property. The test of self-acquisition by the Karta or Coparcener is that it should be without detriment to the ancestral estate. It is therefore clear that before an acquisition can be

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

claimed to be a separate property, it must be shown that it was made without any aid or assistance from the ancestral or joint family property."

इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन के उपरान्त हमारा अभिमत है कि प्रकरण में विवादित बिन्दु वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं की आय से खरीदशुदा होने अथवा परिवार की संयुक्त आय से परिवार के मुखिया के नाम से पैतृक अथवा स्वअर्जित होने के संबंध में है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु जोकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र में तय होना है, से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि की गिफट् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में करते हुए अन्य विधिक उत्तराधिकारियों के हितों कुठाराधात करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है।

(5) प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया है अथवा नहीं? इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर टीपी एक्ट की धारा 9 व 54 को आधार बनाते हुए वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित भूमि मानते हुए व रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश जारी करने को कोई आधार होने के कारण खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में निर्णय पारित किय गया है, उक्त निर्णय में किस आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति माना गया है, का कतई खुलासा नहीं किया गया है। जबकि धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र को निर्धारित करते समय उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना आज्ञापक/अनिवार्य (Mandatory) है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश जैर अपील अपने आप में अपरिक्वपूर्ण व न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश की परिभाषा में आता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(6) न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ पक्षकार जोकि एक ही परिवार के सदस्य है, तथा सम्पति को लेकर पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद न्यायालय के समक्ष वाद जैरकार हो, तो ऐसीस्थिति में दावा दायरी के दिन के मौके व राजस्व रिकार्ड यथास्थित कायम रखी जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद/पेरिदगियॉ उत्पन्न न हो तथा सम्पति की सुरक्षा व संरक्षणा की जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर पारिवारिक सदस्यों के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा एवं सरंक्षणा को ध्यान में रखते व अन्य पेचिदगियॉ यथा मौके अथवा रिकार्ड की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति वाद के निर्णय तक कायम रखने के आदेश प्रदान करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील काबिल निरस्त होने से निरस्त किया जाता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांटस् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 21—10—2021 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 25/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/4/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर